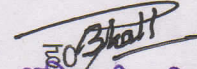
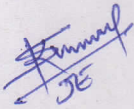


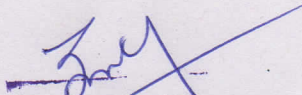
लागत लाभ विश्लेषण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना
के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ मोटर मार्ग
का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजना के निर्माण में चयनित वनभूमि 0.810 हे० भूमि प्रभावित
हो रही है जो 5 हे० से कम प्रभावित हो रही है। अतः लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र वांछनीय है।


ह० शर्मा
अधिसूची अभियन्ता
पर्यावरण एजेंसी
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

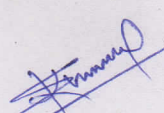

जे


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत।

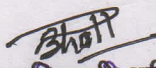
प्रपत्र
परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तैयार कर प्रस्ताव में चम्पा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीडाँग)
चम्पावत वन प्रभाग


ह०/वी० वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।
प्रभागीय वनाधिकारी

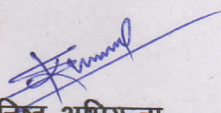
प्रपत्र

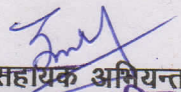
परियोजना का नाम:-

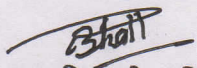
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

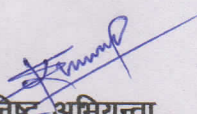
प्रपत्र

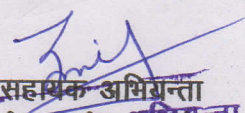
परियोजना का नाम:-

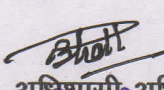
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

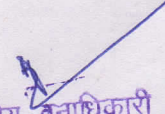
स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद ~~चम्पावत~~ ^{चम्पावत} में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि स्थल विशिष्ट नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


अधीक्षक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

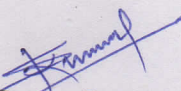
प्रपत्र-41

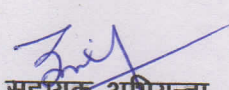
परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

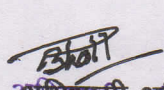
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

- 1- स्वीकृत मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार ही मक डिस्पोजल का कार्य कराया जायेगा।
- 2- प्रस्तावित डम्पिंग साइट नदी/स्ट्रीम/नाले से दूर स्थित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

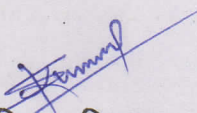

अभिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

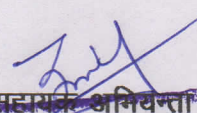
प्रपत्र-46

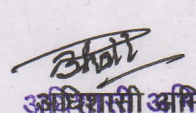
परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

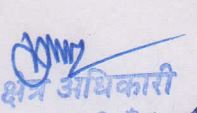
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, चम्पावत
चम्पावत।


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीढांग)
चम्पावत वन प्रभाग


ह० वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत।

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वृक्षों का पातन मात्र 7.00 मी० चौड़ाई में ही कराया जायेगा। पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

अधियात्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीढाँग)
चम्पावत वन प्रभाग

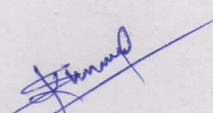
प्रमहोदय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।
प्रभागीय वनाधिकारी

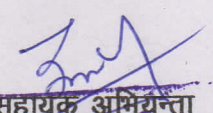
पपत्र-154

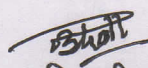
परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 11 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 10 वृक्षों का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीढोंग)
चम्पावत वन प्रभाग

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रपत्र

परियोजना का नाम:-

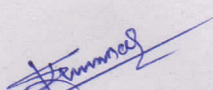
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

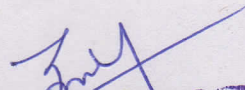
प्रस्तावित परियोजना का मद् वार विवरण

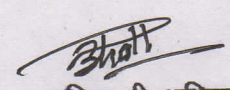
~~चम्पावत~~

जनपद- ~~चम्पावत~~ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०), मोटर मार्ग निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

- 1 पहाड़ कटान कार्य मार्ग निर्माण हेतु।
- 2 रिटेनिंग वॉल एवं ब्रेस्ट वॉल का निर्माण।
- 3 स्कपर एवं कौजवे का निर्माण।
- 4 कच्ची तथा पक्की नाली का निर्माण।
- 5 कि०मी० स्टोन, हेक्टेयर मी० स्टोन, एज स्टोन तथा संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

पपत्र-20

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31से सिलाड़ (3.150किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लागू नहीं हैं।

ह०/

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र आवेदित वन क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग होने, किसी वन्य जीव क्षेत्रों की परिधि के 10 किमी० के अन्तर्गत होने अथवा अन्य वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

**रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन (प्रति कि.मी. में 333
पैधारोपण 10 वर्षीय योजना)**

**परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत
टनकपुर तवाघाट से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।**

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	लं०	चौ०	उ०/ग०	मात्रा	प्रस्तावित इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य तथा रोड साईड में चिन्हीकरण		1.00	--	--	1.00 km	150.00	150.00
	स्थलों की सफाई		1.00	--	--	1.00 km	700.00	700.00
	रोड साईड में पत्थरों की 45 सेमी० चौड़ी कुलीवालिग में ट्री गार्ड निर्माण- आन्तरिक गर्भ 50सेमी० रेडियस तथा ऊँचाई 1.35मी० (15सेमी० बुनियाद व 1.20 ऊपर सहित) प्रति कि.मी. 150 ट्री गार्ड	150	22/7x0.95x0.95x1.35			574.38	--	--
	घटाया आन्तरिक भाग	150	22/7x0.50x0.50x1.35			159.11	--	--
	शेष चिनाई					415.27	206.00	85545.62
	शेष 183 पौधों का रोड साईड में (ग्रुप प्लान्टेशन) की सुरक्षा हेतु कुलीवालिग में फेन्सिंग	1	200.00	0.45	1.20	108.00 cum	206.00	22248.00
	रोपण हेतु गड्ढे खुदान (0.45x0.45x0.45)	1	333	--	--	333 No	10.13	3373.29
	गड्ढे भरान		333	--	--	333 No	1.08	359.6
	पौधों की कीमत		333	--	--	333 No	4.90	163.70
	पौधों की ढुलान		333	--	--	333 No	4.17	1388.61
	पौधारोपण तथा थावलाबन्दी मय दो बार निराई गुड़ाई		333	--	--	333 No	2.27	755.91
	पौधों हेतु जैविक खाद		--	--	--	--	L.S.	700.00
	पौधों हेतु रसायनिक खाद/कीटनाशक		--	--	--	333 No	15.70%	52.28
	देख-रेख कार्य 3 कि.मी. में एक श्रमिक (रोपण वर्ष में 8 माह) (30ग125 प्रति दिन)		--	--	--	8 Month	3750/3	10000.00
	रोपण के उपरान्त 10 वर्ष का अनुरक्षण 12 माह प्रति वर्ष		12x375 0x10/3	--	--	--	--	50000.00
	यंत्र-सयंत्र इत्यादि						L.S.	500.00
							Total	277405.05
							Say	277405.00
			277405.00/km x 3.150 km					873825.75

[Signature]
DE

[Signature]
वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीबाँग)
चम्पावत वन प्रभाग

56
[Signature]
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट
चम्पावत।

[Signature]
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोहाघाट
चम्पावत

प्रमाणीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from.....for diversion under FCA-1980) of 0.810.hec. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Tanakpur Tawaghat Motor Road Km31 to Silaar Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.810hec.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:-.....

(Signature)

Date.....

Name.....

Designation.....

Office Seal

N.B.
diverted.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.